न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 31/2024
जीसीएमएस : 2024/285

01. बलराम पुत्र श्री तेजाराम जाति जाट साकिन किकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

बनाम —:प्रार्थी

1. रामकुमार पुत्र श्री जगराम जाति जाट साकिन कीकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। —:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:– 05.09.2024

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. श्री अरूणकुमार शर्मा प्रार्थी अधि.।
2. श्री कृष्णलाल लदोईया अप्रार्थी अधि.।

—:निर्णय:— दिनांक 15.05.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी वाके चक 63 आर. बी. बी. तहसील रायसिंहनगर का खाता संख्या 54/79 मुरब्बा नं. 4 के कि.नं. 5/2, 5/3, 6/1, 7, 8, 9, 16/1, 16/3, 17 की 1.480 है. नहरी मय खाला में आने–जाने के लिए इसी चक 63 आर.बी. बी के खाता संख्या 74/61 के मुरब्बा नं. 4 के कि.नं. 25/1 में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने का आशय रखता है यह रास्ता सरकारी खाला के साथ चिपता हुआ है जिस भूमि से रास्ता लिया जाना है उस अप्रार्थी की चक 63 आर.बी.बी. के खाता संख्या 74/61 के मुरब्बा कि.नं. 4 के कि.नं. 23/2, 24, 25/1, 25/2 की 0.531 है. नहरी भूमि है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मै. प्रार्थी को अपनी जोत वाके चक 63 आर.बी.बी. तहसील रायसिंहनगर का खाता संख्या 54/79 मुरब्बा नं. 4 के कि.नं. 5/2, 5/3, 6/1, 7, 8, 9, 16/1, 16/3, 17 की 1.480 है. नहरी मय खाला में आने–जाने के लिए इसी चक 63 आरबी बी के खाता संख्या 74/61 के मुरब्बा नं. 4 के कि.नं. 25/1 में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी के पास आने–जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थी की सुविधा को मध्यनजर ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृत किया जावे। प्रार्थी 251 के प्रावधानों के तहत एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सहमत है। प्रार्थी को रास्ता की अत्यन्त आवश्यकता है इसलिए उक्त रास्ता स्वीकृत किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.22 13:24:50 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 की तरफ से श्री कृष्णलाल लदोईया अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थी/ आवेदक का आवेदन पत्र विधिक प्रावधनों व निर्धारित प्रारूप के अनुसार पेश ना होने व तहसीलदार

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 31/2024

जीसीएमएस : 2024/285

01. बलराम पुत्र श्री तेजाराम जाति जाट साकिन किकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

—:प्रार्थी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र श्री जगराम जाति जाट साकिन कीकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

—:अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

तारीख रजू:— 05.09.2024

उपस्थित अधिवक्ता:—

1. श्री अरूणकुमार शर्मा प्रार्थी अधि.।
2. श्री कृष्णलाल लदोईया अप्रार्थी अधि.।

—:निर्णय:—

दिनांक 15.05.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी वाके चक 63 आर. बी. बी. तहसील रायसिंहनगर का खाता संख्या 54/79 मुरब्बा नं. 4 के कि.नं. 5/2, 5/3, 6/1, 7, 8, 9, 16/1, 16/3, 17 की 1.480 है. नहरी मय खाला में आने—जाने के लिए इसी चक 63 आर.बी. बी के खाता संख्या 74/61 के मुरब्बा नं. 4 के कि.नं. 25/1 में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने का आशय रखता है यह रास्ता सरकारी खाला के साथ चिपता हुआ है जिस भूमि से रास्ता लिया जाना है उस अप्रार्थी की चक 63 आर.बी.बी. के खाता संख्या 74/61 के मुरब्बा कि.नं. 4 के कि.नं. 23/2, 24, 25/1, 25/2 की 0.531 है. नहरी भूमि है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मै. प्रार्थी को अपनी जोत वाके चक 63 आर.बी.बी. तहसील रायसिंहनगर का खाता संख्या 54/79 मुरब्बा नं. 4 के कि.नं. 5/2, 5/3, 6/1, 7, 8, 9, 16/1, 16/3, 17 की 1.480 है. नहरी मय खाला में आने—जाने के लिए इसी चक 63 आरबी बी के खाता संख्या 74/61 के मुरब्बा नं. 4 के कि.नं. 25/1 में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी के पास आने—जाने के लिए कोई रा[illegible] है इसलिए प्रार्थी की सुविधा को मध्यनजर ध्यान में रखते [illegible] स्वीकृत किया जावे। प्रार्थी 251 के प्रावधानों के अनुसार राशि [illegible] करवाने व न्यायालय के आदेशानुसार सहमत है। [illegible] प्रार्थी [illegible] रास्ता की अत्यन्त आवश्यकता है इसलिए उक्त रास्ता स्वीकृत किया जावे।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 की तरफ से श्री कृष्णलाल लदोईया अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.22 13:24:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व रायसिंहनगर व विवादित भूमि के कि.नं. 14 व 15 के खातेदारान पक्षकार आवेद पत्र नहीं बनाए जाने कारण काबिल निरस्ती है। आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता कतई सरल, सुगम, निकटतम व सुविधा जनक नहीं है चूकिं मिन अप्रार्थी के पास मु.नं. 4 में मात्र 2 बीघा 2 बिस्वा ही भूमि है तथा उसमें भी 2 बिस्वा भूमि में सरकारी खाला चल रहा है इसलिए नाम मात्र की भूमि में सें 2 बिस्वा भूमि में रास्ता स्वीकृत करने से प्रार्थी की भूमि और कम हो जायेगी तथा सिंचाई विभाग द्वारा पानी भी काट दिया जाता जायेगा, जिससें प्रार्थी की शेष रही भूमि की अच्छे से आवपाशी भी नही हो पायेगी। फिर भी निवेदन है कि यदि माननीय न्यायालय की राय में आवेदक को प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता दिये जाने का विकल्प नहीं पाया जाता है तो आवेदक से मिन अप्रार्थी की कि.नं. 24 व 25 की भूमि के चिपती आवेदक की कि.नं. 16 व 17 में से भूमि के बदले भूमि बतौर मुआवजा दिलाये जाने का समुचित आदेश प्रदान किया जावे, क्योकि डी.एल.सी. दर पर 2 बिस्वा भूमि राशि से उतनी भूमि अप्रार्थी को मिलना सम्भव नहीं है। प्रार्थी रास्ता के बदले भूमि देने के लिए सहमत होता है तो अप्रार्थी रास्ता देने के लिए सहमत हो सकता है। आवेदक ने अपनी जोत में सुगम रास्ता मौजूद होने के के बावजूद भी अन्य पारिवारिक रंजिश व मन मुटाव होने के कारण अप्रार्थी को नाहक हैरान परेशान करने ककी गर्ज से यह आवेदन पत्र पेश किया है जो काबिल खारिजी के है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि जवाब आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदन पत्र आवेदक खारिज फरमाया जावे।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/2021 दिनांक 08.11.2024 से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी के नाम वाके चक 63 आरबी बी. पं.नं. 184/266 मु.नं. 4 के कि.नं. 5/2, 5/3 खाला, 6/1, 7 ता 9, 16/1, 16/3 खाला 17 की कुल 1.480 है. नहरी मय खाला भूमि बलराम पुत्र तेजाराम जाति जाट साकिन कीकरवाली के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा कि.नं. 6/3, 15/3, 16/2 प्रार्थी बलराम पुत्र तेजाराम वगै. के नाम संयुक्त खाता में खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी के नाम चक 63 आरबी बी के पं.नं. 184/266 मु.नं. 4 के कि.नं. 23/2, 24, 25/1, 25/2 खाला कुल 0.531 है. कमाण्ड मय खाला भूमि रामकुमार पुत्र जगराम जाति जाट साकिन कीकरवाली के नाम से खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। अतः प्रार्थी को अपने रकबा में आवागमन हेतु मु.नं. 4 के कि.नं. 25/1 में 0.025 है. ... दक्षिण पासा में स्वीकृत खाला के चिपते भूमि रा... प्रस्तावित है उक्त चाहा गया रास्ता सड़क से निकटतम ... अन्य कोई स्वीकृतशुद्वा रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीया ... चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

4. बहस वकील उभयपक्ष ... ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौराया चाहा गया रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते कथन किया कि अगर प्रार्थी को अपनी जोत में आने–जाने के लिए कोई अन्य रास्ता नहीं है तो अप्रार्थी रास्ते में आने वाली भूमि के बदले प्रार्थी से चिपती भूमि दिलाई जावे तो प्रार्थी को अप्रार्थी रास्ता देने के लिए अपनी सहमति देता

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.22 13:24:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

5. हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता की श्रेणी में है। प्रार्थी के पास इसके अलावा अपनी जोत में आने–जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी भूमि के बदले भूमि देने हेतु सहमत है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 क आरटीएक्ट के तहत स्वीकार किया जाना उचित हैं।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर वाके चक 63 आरबी बी के खाता संख्या 74/61 मु.नं. 4 के कि.नं. 25/1 में 0.025 है. उत्तर–दक्षिण पासा में स्वीकृत खाला के चिपते मैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। अतः तहसीलदार रायसिंहनगर उक्त रास्ते में आने वाली भूमि के बदले प्रार्थी के खाता संख्या 54/79 के मु.नं. 4 के कि.नं. 16 व 17 में से कुल 0.025 है. भूमि कम करते हुए कि.नं. 24 व 25 के साथ चिपती भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज कि जावे। ऐसा आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 15.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.22 13:24:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

इसने विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए उभेयक प्रावधानों पर मनन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता की श्रेणी में है। प्रार्थी के पास इसके अलावा अपनी जोत में आने–जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी भूमि के बदले भूमि देने हेतु सहमत है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 क आरटीएक्ट के तहत स्वीकार किया जाना उचित हैं।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर वाके चक 63 आरबी बी के खाता संख्या 74/61 मु.नं. 4 के कि.नं. 25/1 में 0.025 है. उत्तर–दक्षिण पासा में स्वीकृत खाला के चिपते मैसूमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। अतः तहसीलदार रायसिंहनगर उक्त रास्ते में आने वाली भूमि के बदले प्रार्थी के खाता संख्या 54/79 के मु.नं. 4 के कि.नं. 16 व 17 में से कुल 0.025 है. भूमि कम करते हुए कि.नं. 24 व 25 के साथ चिपती भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज कि जावे। ऐसा आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 15.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.22 13:04:50 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

Scanned with OKEN Scanner